ग्राम पंचायत बरशैणी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बरशैणी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

(i) प्रधान:–

Sr.No.	Name	Period
1	Sh.Puran Chand	1-4-13 to 22-1-16
2	Sh.Jai Ram	23-1-16 to till date

(ii) सचिव:–

1	Sh.Tek Chand	1-4-13 to 31-3-16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत बरशैणी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	7	पंचायत राजस्व की वसूली शेष रहना।	0.97
2	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय।	21.83
3	11	मनरेगा के तहत अधिक भुगतान।	0.01
4	12	क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	16.90

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बरशैणी, विकास खण्ड कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 4.8.16 (A.N) से 10.8.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 9/13, 6/14 व 12/15 तथा व्यय की जाँच हेतु माह 8/13, 9/14 व 10/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बरशैणी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000/– के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2016–130 दिनांक 10.8.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बरशैणी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बरशैणी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) मुख्य रोकड़ बहीः– ग्राम पंचायत बरशैणी के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–I (क) से I (ग), (पार्ट–I) में भी दिया गया हैः–

(1) स्व स्त्रोत व अनुदानः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	1287150.50	993679	56271	2337100.50	1453884.10	883216.40
2014–15	883216.40	8129226.50	81142	9093584.90	8509871	583713.90
2015–16	583713.90	8352447.50	92965	9029126.40	7346252	1682874.40
					Bank	**₹3758764.40**

(2) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	76619.50	984013	4444	1065076.50	1104365.40	(–)39288.90
2014–15	(–)39288.90	40000	1256	1967.10	384222	(–)382254.90
2015–16	(–)382254.90	–	–	(–)382254.90	556159	(–)938413.90
					Bank	**₹Nil**

(3) **IWMP-I** :– परिशिष्ट–**I** (छ)

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2014–15	–	150500	2143	152643	106188	46455
2015–16	46455	6650	1905	55010	7980	47030
					Bank A/c 3325409832	**₹47030**

(4) **IWMP-II**:–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2014–15	–	152500	3707	156207	74373	81834
2015–16	81834	116850	3746	202430	74956	127474
					Bank A/c 3325409729	**₹127474**

4.1 रोकड़ बही में अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करने बारेः–

ग्राम पंचायत बरशैणी की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही में प्रत्येक दिन/माह का अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है व न ही वर्ष के आरम्भ में अथशेष व अन्तिम शेष दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति की गणना/निर्धारण करने के लिए बैंक पास बुकों में 31.3.13 के शेष को ही 1.4.13 का अथशेष लिया गया है।

4.2 मनरेगा की रोकड़ बही को पूर्ण न करने बारेः–

ग्राम पंचायत बरशैणी की मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियां व व्यय भुगतान विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय द्वारा Online होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान किया गया तथा कितनी

राशि भुगतान हेतु शेष है का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि व व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:–

ग्राम पंचायत बरशैणी की मुख्य रोकड़ बही का अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के 31.3.16 के अन्तिम शेष के अन्तर ₹523439/– **(परिशिष्ट–2)** का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा प्राप्त अनुदानों को जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए गए है। रोकड़ बही में दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना:–

पंचायत की मुख्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** में दिए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त बाजार, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2006 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राकलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म–11 के स्थान पर कार्रवाई रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन फार्म–11 में तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.97 लाख की वसूली शेष रहनाः–

ग्राम पंचायत बरशैणी के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेखों के अनुसार पंचायत राजस्व की ₹97115/– की वसूली दिनांक 31.3.16 तक शेष थी।

जिसका विवरण **(परिशिष्ठ–4)** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	44785	11880	56665	28990	27675
2014–15	27675	13240	40915	1760	39155
2015–16	39155	65800	104955	7840	97115

(2) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	शून्य	4000	4000	4000	शून्य
2014–15	शून्य	5000	5000	–	5000
2015–16	500	5000	10000	10000	शून्य

No of Tower-2 No.

8 अनुदान ₹2.75 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–"5")** के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹275476/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की सम्पूर्ण राशि को सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

8.1 बैंक में जमा अनुदान राशि तथा उपयोग हेतु दर्शाई गई अनुदान की शेष राशि में ₹34.83 लाख का भारी अन्तरः–

पंचायत की बैंक पास बुकों में 31.3.16 को जमा शेष राशि की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक में दिनांक 31.3.16 को ₹3758764.40 जमा थे **(परिशिष्ट–I)** जबकि सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.16 को अनुदानों से प्राप्त राशि से ₹275476/– उपयोग हेतु शेष थी **(परिशिष्ट–5)**। अतः बैंक में अधिक जमा राशि ₹3483288.40 (3758764.40–275476.00) का विवरण तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹21.83 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय/भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकता प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–"6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2183290/– के स्टॉक स्टोर का क्रय/भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Bill Register-Form 13
2	Cheques issue Register
3	T.A. Check Register-Form 20
4	Work Register
5	Tower fee Demand & collection Register
6	Stock Register of consumable articles-Form 26
7	Telephone/Electricity bill Register

11 मनरेगा के तहत ₹1380/–का अधिक भुगतान:–

मनरेगा की रोकड़ बही व मस्ट्रोल की जाँच करने पर पाया गया कि माह 8/2013 में मस्ट्रोल संख्या 1648 व 1649 का कुल व्यय ₹23460/–था जबकि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 95 में ₹24840/– का व्यय भुगतान दर्शाया गया था। अतः ₹1380/–का अधिक व्यय भुगतान की

G.P.Barshaini

वसूली करके रोकड़ बही व बैंक में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 ₹16.90 लाख की क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय/प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत बरशैणी के बिल वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹1689940/–की क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं थी जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी। अतः निम्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Head	Cash Book Page No.	Bill No.	Firm	Item	Amt.
1	Nidhi	291 8/13	155 7-8-13	M/s Thakur Electrical	CFL Bulbs	615
2	LADA	39 9/14	24544 4-9-14	M/s H.P.State civil supplies corporation	Cement	62660
3	LADA	42 9/14	24680 27-9-14	-do-	Cement	30125
4	LADA	43 9/14	24701 10-9-14	-do-	Cement	30125
5	Nidhi	48 9/14	375 20-9-14	M/s Tripura Enterpriser Manikaran	Caps	2950
6	LADA	47 9/14	8428 10-9-14	M/s Anvi Enterprises	Bricks	63465
7	LADA	33 10/15	038 23-10-15	M/s AShvay Traders Chandigarh	Solar lights	1500000
					Total	**1689940**

13 ₹0.26 लाख के बिल वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

ग्राम पंचायत बरशैणी के माह 8/2013 के मनरेगा के बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 96, दिनांक 27.8.13 को ₹26064/–का भुगतान H.P. State civil Supply corporation को दर्शाया गया है परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर

जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः उक्त भुगतान का बिल वाउचर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्षः— ग्राम पंचायत बरशैणी के लेखों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 9 / 2016—खण्ड—1—6399—6402 दिनाँकः 05.12.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बरशैणी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

हस्ता / —
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.